न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,सीकर

मंदिर श्री गोपीनाथजी ग्राम श्यामगढ बनाम सुगनाराम आदि

प्रार्थना पत्र मु.नं. 127 /2016

दिनांक	आज्ञा पत्र	
29.1.2020	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई । अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित । प्रार्थी मंदिर गोपीनाथजी विराजमान ग्राम श्यामगढ की ओर से जरिये वाद मित्र महन्त पुजारी लक्ष्मीनारायण पुत्र भागीरथ मल जाति ब्राहमण निवासी स्वामी की ढाणी तन श्यामगढ ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्त.अधि. अप्रार्थीगण सुगनाराम आदि के विरूद्ध प्रस्तुत कर अंकित किया कि मंदिर श्री गोपीनाथजी विराजमान स्वामी की ढाणी तन श्यामगढ के कब्जा काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नं. 55/1097,660/1056, 768, 768/1098,,768/959, 769, 770,,771,772,773,774,775,776,777,778,779,780, 780/1069, 781,782,783,784,785,786,787,788,789,790,791,792,792/961, 793,794,794/1071,795,796,797,798,799,800,801,802,803,804, 805,806,807 ,808,809,810,810/1072,811,812,813, 814 ,815, 816,816/1073,817,,818,819,819/1093, 820,821,822,823, 823/1074, 823/1075,823/1076,824,867,868/1083, एवं अन्य खसरा नंबरो की भूमियां अवस्थित है। मूर्ति मंदिर के नाम कुल खसरा सं.158 रकबा 119.46 है. है। जिनमे से 867 रकबा 2.56 है. गै.मु.नाला व खसरा नं. 868/1083 रकबा 0.17 है.गै.मु. नाला के संबध मे आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त भूमि सदैव से मंदिर मूर्ति की भूमि है मंदिर की गाये व अन्य पशुधन चराई के काम मे लिया जाता रहा है इन दोनो खसरा नंबर मे वर्षा ऋतु मे पानी बहता है । नाला की भूमि से अप्रार्थीगण का कोई संबध सरोकार नही है प्रार्थी मंदिर शाश्वत अवयस्क होने के कारण उसे धारा 46 राज.काश्त.अधि. का संरक्षण प्राप्त है। वर्ष 2016 खरीफ मे अप्रार्थीगण ने कब्जा करने के कुउद्धेश्य से फसल की बुवाई कर दी। वादमित्र व ग्रामीणों ने विरोध किया । अप्रार्थीगण ने धमकी दी,मंदिर की आराजी वेस्ट,डेमेज एवं अलाइनमेंट करने पर आमादा है। प्रथम दृष्टया मामला सुदृढ है। आवेदन पेश कर उक्त वर्णित खसरा नं. 867,868/1083 को वेस्ट डेमेज एलाइनेट करने खडे खोदने पेड काटने, निर्माण करने मौका स्थिति परिवर्तित करने आदि से प्रतिबंधित करने का अनुरोध किया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता हाजिर आये,लेकिन कोई जवाब पेश नही किया तथा बाद मे अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एकपक्षीय अमल मे लाई गई। बहस अंतिम विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा सुनी गई विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को विस्तार से दौहराया एवं नजीर RRD 1989page 470, RRC1999 page 21, RRD 1956 page 173, RRD 1975 page 405 की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया । बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व	

दर्ज है तथा मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग की श्रेणी मे आता है जिसके हितों की सुरक्षा करना न्यायालय का कर्तव्य है। न्यायालय द्वारा प्रार्थी के पक्ष मे अस्थायी स्थगन जारी किया गया है । लिहाजा प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला सुदृढ होना पाया जाता है। यदि उक्त आराजी का वेस्ट डेमेज अलाइनेट किया गया तो मंदिर के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव होगा । अप्रार्थीगण का इससे कोई संबध सरोकार नही है । अतः सुविधा का संतूलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष मे होना प्रकट होते है । सारतः आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्त.अधि. स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि मूल वाद के निर्णय तक खसरा नं. 867 रकबा 2.56 है. गै.मु.नाला व खसरा नं. 868/1083 रकबा 0.17 है. गै.मु.नाला ग्राम स्वामी की ढाणी तन श्यामगढ तहसील सीकर को वेस्ट,डेमेज,अलाईनेट नहीं करें, व राजस्व रिकार्ड की वर्तमान स्थिति परिवर्तित नहीं करे।

आदेश सुनाया गया । पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम होकर बाद तकमील तरमीम संलग्न मूल वाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी